

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

हिन्दू काल: 25-02-2025

विनियमन आयोग और शासन में राज्य की भूमिका

भारत और UAE-CEPA के 3 वर्ष

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

भारत में इंटरनेट शटडाउन

भारत का बढ़ता LNG आयात

नैनोक्रिस्टल्स के क्वांटम गण का उपयोग

उच्चतम न्यायालय ने स्रोत पर ही अपशिष्ट को पुथक करने पर बल दिया।

संक्षिप्त समाचार

द टी हॉर्स रोड (The Tea Horse Road)

पगड़ी संभाल जदा आंदोलन

एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड

भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCISM)

विनियमन आयोग और शासन में राज्य की भूमिका

संदर्भ

- कारोबार को आसान बनाने तथा नौकरशाही की लालफीताशाही को कम करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने विनियमन-मुक्ति आयोग की स्थापना की घोषणा की।

भारत में विनियमन-मुक्ति और इसकी आवश्यकता को समझना

- विनियमन मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को कम करने या समाप्त करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
- भारत में, नौकरशाही लालफीताशाही, अत्यधिक लाइसेंसिंग आवश्यकताओं और क्षेत्रीय प्रतिबंधों ने प्रायः व्यवसायों, विशेष रूप से स्टार्टअप और MSMEs को अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने से रोक दिया है।

घोषणा की मुख्य विशेषताएँ

- प्रधानमंत्री मोदी ने जन विश्वास 2.0 पहल के माध्यम से सैकड़ों पुराने अनुपालनों को समाप्त करने के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला और समाज में कम सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया।
 - फोकस क्षेत्रों में बैंकिंग, ऊर्जा, दूरसंचार, खुदरा और विनिर्माण शामिल हैं।
- विनियमन आयोग का उद्देश्य अनावश्यक सरकारी विनियमों की पहचान करना और उन्हें समाप्त करना है।
- इसका उद्देश्य RBI, SEBI, TRAI और CERC जैसी वर्तमान नियमक संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करना है, साथ ही निजी निवेश में तीव्रता लाना, लालफीताशाही को कम करना और आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है।

विनियमन आयोग की स्थापना के मुख्य कारण

- नौकरशाही की लालफीताशाही को कम करना: विश्व बैंक द्वारा व्यापार करने में आसानी सूचकांक (2020) में भारत 63वें स्थान पर है।

- विनियमन आयोग अत्यधिक कागजी कार्बाई को कम करने, अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और अनावश्यक कानूनों को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- आर्थिक विकास को बढ़ावा देना: विनिर्माण, बुनियादी ढाँचा और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों को तेज मंजूरी एवं सरलीकृत अनुपालन तंत्र की आवश्यकता होती है।
- उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करना: स्टार्टअप और MSMEs प्रायः विनियमक बाधाओं का सामना करते हैं, जिसमें कई अनुमोदन, उच्च कर भार और सख्त श्रम कानून शामिल हैं।
- पुराने कानूनों की फिर से समीक्षा करना: भारत के कानूनी ढाँचे में अभी भी कई औपनिवेशिक युग के कानून उपस्थित हैं।
 - विनियमन आयोग आधुनिक शासन आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिए ऐसे पुराने कानूनों में संशोधन या निरसन की सिफारिश कर सकता है।
- FDI को बढ़ावा देना: भारत में FDI प्रवाह में वृद्धि देखी गई है, लेकिन खुदरा, बीमा और ई-कॉर्मस जैसे क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक नीतियाँ अभी भी चुनौतियाँ पेश करती हैं।
- संघवाद और राज्य स्वायत्ता को मजबूत करना: राज्यों में नियम अलग-अलग होते हैं, जिससे कारोबारी वातावरण में असंगतता उत्पन्न होती है।
 - एक केंद्रीय निकाय राज्य सरकारों के साथ मिलकर समान नीतियाँ बना सकता है, जिससे पूरे भारत में कारोबारियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो सके।
- बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और दक्षता: उपभोक्ताओं के लिए कम कीमतें और बेहतर सेवाएँ।
 - निजी क्षेत्र की भागीदारी ने उत्पादकता को बढ़ाया है।

भारत में विनियमन-विमुक्ति का विकास

- भारत के आर्थिक उदारीकरण ने उद्योगों पर राज्य के नियंत्रण को कम करने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को प्रोत्साहित करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सुधारों की शुरुआत की।

विनियमन पर निगरानी रखने वाले विनियामक आयोग			
नियामक आयोग	क्षेत्र	भूमिका	विगत नियम
RBI	बैंकिंग और वित्त	वित्तीय संस्थाओं और मौद्रिक नीति की निगरानी करता है।	<ul style="list-style-type: none"> सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम की; बीमा क्षेत्र में FDI सीमा बढ़ाई; ब्याज दरों का विनियमन समाप्त किया;
TRAI	दूरसंचार	निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करता है।	<ul style="list-style-type: none"> 1994: राष्ट्रीय दूरसंचार नीति ने निजी अभिकर्त्ताओं को अनुमति दी। 1999: राजस्व-साझाकरण मॉडल ने लाइसेंस शुल्क का स्थान ले लिया। 2016: रिलायंस जियो के प्रवेश से मूल्य युद्ध छिड़ गया, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ हुआ।
CERC	ऊर्जा	विद्युत शुल्क और खुली पहुँच की देखरेख करना।	<ul style="list-style-type: none"> विद्युत उत्पादन में निजी निवेश में वृद्धि। विद्युत संचरण तक खुली पहुँच, जिससे उपभोक्ताओं को अपने आपूर्तिकर्ता चुनने की अनुमति मिलती है। सौर और पवन ऊर्जा नीतामी के साथ नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना।
PNGRB	तेल और गैस	पेट्रोलियम मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।	<ul style="list-style-type: none"> 2010: पेट्रोल की कीमतों का विनियमन। 2014: डीजल की कीमतों का विनियमन। 2016: ईंधन की कीमतों में दैनिक संशोधन की शुरुआत।

विनियमन-मुक्ति का नकारात्मक प्रभाव

- बाजार की विफलताएँ:** अनियंत्रित विनियमन से एकाधिकार और आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं (उदाहरण के लिए, 2008 का वित्तीय संकट)।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी छूटना:** निजीकरण के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में छंटनी हुई।
- नियामक नियंत्रण:** निजी संस्थाएँ अपने पक्ष में नीतियों को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे उपभोक्ता हितों को हानि पहुँच सकता है।
 - कुछ उद्योगों में प्रमुख अभिकर्त्ताओं का उदय हुआ (उदाहरण के लिए, दूरसंचार में जियो)।
- ग्रामीण असमानताएँ:** कुछ लोगों के हाथों में धन का संकेन्द्रण सामाजिक असमानताओं को बढ़ा सकता है।

विनियमन के लाभ असमान रूप से वितरित किए जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ जाते हैं।

- पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:** तीव्र औद्योगिक विकास ने प्रदूषण और संसाधनों की कमी को बढ़ा दिया है।

आगे की राह

- उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना:** उपभोक्ता अधिकारों और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की रक्षा करने वाले विनियमों को कमज़ोर नहीं किया जाना चाहिए।
- कॉर्पोरेट कदाचार को रोकना:** एकाधिकार और अनैतिक प्रथाओं को रोकने के लिए निगरानी आवश्यक है।
- सार्वजनिक कल्याण और व्यावसायिक हितों में संतुलन:** स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में मुनाफाखोरी से बचने के लिए सावधानीपूर्वक विनियमन की आवश्यकता है।

Source: TH

भारत और UAE-CEPA के 3 वर्ष

संदर्भ

- भारत-संयुक्त अरब अमीरात (UAE) व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) ने 2025 में अपने हस्ताक्षर के तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं।

व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के बारे में

- यह पिछले दशक में भारत का प्रथम गहन और पूर्ण मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है।
- यह दो प्रमुख व्यापार भागीदारों के बीच एक राजनीतिक आर्थिक सहयोग का प्रतिनिधित्व करता है और इससे द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।
- फरवरी 2022 में हस्ताक्षरित, CEPA कई क्षेत्रों को कवर करता है, जिनमें सम्मिलित हैं:
 - वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार
 - फार्मास्युटिकल्स
 - बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)
 - निवेश और डिजिटल व्यापार

भारत- UAE CEPA का महत्व

- द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना: आगामी पाँच वर्षों में वस्तुओं के व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा सेवाओं के व्यापार को 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य है।
 - खाड़ी क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना।
- रोजगार सृजन और आर्थिक विकास: व्यापार उदारीकरण और बेहतर बाजार पहुँच के माध्यम से भारतीय कार्यबल के लिए 1 मिलियन से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
- भारतीय वस्तुओं के लिए तरजीही बाजार पहुँच: भारत के श्रम-प्रधान निर्यात के लिए बाजार पहुँच को बढ़ाता है।

- UAE को भारत के 90% निर्यात के लिए शून्य-शुल्क बाजार पहुँच प्रदान करता है, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होता है।
- खाड़ी क्षेत्र में UAE-भारत व्यापार संबंधों को मजबूत करना: UAE के पड़ोसी बाजारों, विशेष रूप से खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) राज्यों, अफ्रीका और यूरोप तक भारतीय निर्यातकों की पहुँच का विस्तार करता है।

संयुक्त अरब अमीरात और भारत संबंधों का संक्षिप्त अवलोकन

- राजनीतिक:** भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित किए।
- बहुपक्षीय सहयोग:** भारत और UAE वर्तमान में कई बहुपक्षीय मंचों जैसे I2U2 (भारत-इजराइल-UAE-USA) और UFI (UAE-फ्रांस-भारत) त्रिपक्षीय आदि का हिस्सा हैं।
 - UAE को G-20 शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया था।
- आर्थिक और वाणिज्यिक:** भारत-UAE व्यापार, जिसका मूल्य 1970 के दशक में प्रति वर्ष 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, आज 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिससे UAE वर्ष 2022-23 के लिए चीन और अमेरिका के पश्चात् भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है।
 - UAE भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य (अमेरिका के पश्चात्) है, जिसका वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 31.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात हुआ है।
- रक्षा सहयोग:** इसे मंत्रालय स्तर पर संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) के माध्यम से संचालित किया जाता है, जिसके अंतर्गत 2003 में रक्षा सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो 2004 में प्रभावी हुआ।
- परमाणु सहयोग:** भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने 2024 में असैन्य परमाणु सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

- 2015 में, दोनों देशों ने “परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग” में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की थी, यह समझौता परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश का विस्तार करने की UAE की नीति का हिस्सा है।
- **अंतरिक्ष सहयोग:** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और UAE अंतरिक्ष एजेंसी ने 2016 में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- **भारतीय समुदाय:** लगभग 3.5 मिलियन का भारतीय प्रवासी समुदाय UAE का सबसे बड़ा जातीय समुदाय है, जो देश की आबादी का लगभग 35% हिस्सा है।
- **NRI धन प्रेषण:** भारतीय समुदाय द्वारा किया गया वार्षिक धन प्रेषण भारत में कुल धन प्रेषण का 18% है [2020-21 डेटा]।

चुनौतियाँ

- **व्यापार असंतुलन:** भारत का संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार घाटा है, जिसका मुख्य कारण संयुक्त अरब अमीरात से उच्च तेल आयात है, जो गैर-तेल व्यापार में वृद्धि के बावजूद आर्थिक संबंधों को असमान बनाता है।
- **क्षेत्र में भू-गजनीतिक तनाव:** मध्य पूर्व और खाड़ी क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करती है, विशेष रूप से इस क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों को प्रभावित करती है।
- **श्रम और प्रवासन मुद्दे:** भारत संयुक्त अरब अमीरात में प्रवासी श्रमिकों के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, और भारतीय श्रमिकों के कल्याण और अधिकारों से संबंधित मुद्दे चिंता का विषय रहे हैं।
- **संयुक्त अरब अमीरात की विदेश नीति:** ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ भारत के संबंध कभी-कभी संयुक्त अरब अमीरात के साथ उसके संबंधों को जटिल बनाते हैं, जो इस क्षेत्र में अलग-अलग रणनीतिक प्राथमिकताओं को बनाए रखता है।

आगे की राह

- **आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना:** तेल से परे व्यापार में विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखना, 2030 तक गैर-तेल व्यापार के लिए 100 बिलियन अमरीकी डॉलर का लक्ष्य प्राप्त करना।
- **संयुक्त रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग:** आतंकवाद-रोधी, क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा में सहयोग को बढ़ाना, एक स्थिर और शांतिपूर्ण मध्य पूर्व के साझा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना।
- **श्रम और प्रवासी मुद्दों को संबोधित करना:** बेहतर श्रम नीतियों और सुरक्षा तंत्रों के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासी श्रमिकों के कल्याण और अधिकारों को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करना।

Source: PIB

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

संदर्भ

- 21 फरवरी को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हमें भाषाई विविधता को बनाए रखने और लुप्त होती भाषाओं की रक्षा करने की आवश्यकता की याद दिलाता है।

पृष्ठभूमि

- अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का विचार 1952 के बंगाली भाषा आंदोलन के स्मरण में बांग्लादेश की पहली थी।
- इसे 1999 के यूनेस्को महासम्मेलन में अनुमोदित किया गया था और 2000 से इसे पूरे विश्व में मनाया जाता है।

भारत की भाषाओं की विविधता

- भारत विश्व के सबसे अधिक भाषाई रूप से विविध देशों में से एक है और इसे भाषा हॉटस्पॉट माना जाता है।
- 2018 की जनगणना के अनुसार, भारत में 19,500 से अधिक भाषाएँ और बोलियाँ हैं, जिनमें से 121 भाषाएँ 10,000 या उससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं।

भाषाई क्षति और उसका प्रभाव

- 1961 की भारतीय जनगणना में 1,652 मातृभाषाएँ दर्ज की गईं, लेकिन 1971 तक यह संख्या घटकर 109 रह गई, क्योंकि कई भाषाओं को व्यापक भाषाई श्रेणियों में रखा गया था।
- 42 भारतीय भाषाएँ गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, जो दुनिया के किसी भी अन्य देश (यूनेस्को) की तुलना में अधिक संख्या है।
 - भारत में 197 भाषाएँ वर्तमान में संकटग्रस्त हैं।
 - पिछले 60 वर्षों में लगभग 250 भाषाएँ विलुप्त हो चुकी हैं।
- विशेष रूप से पूर्वोत्तर एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दूरदराज और स्वदेशी समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएँ सबसे अधिक संकटग्रस्त हैं।
 - उदाहरण: ग्रेट अंडमानी भाषा और राय-रोकड़ुंग भाषा (सिक्किम) गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं।

भाषा लुप्त होने के कारण

- आधुनिकीकरण:** युवा पीढ़ी बेहतर शिक्षा, नौकरी के अवसरों और सामाजिक एकीकरण के लिए हिंदी और अंग्रेजी जैसी प्रमुख भाषाओं को प्राथमिकता देती है।
- बोलने वालों की कमी:** कम बोलने वालों के कारण पीढ़ियों के बीच संचार में कठिनाई होती है।
- प्रमुख भाषाओं का प्रभुत्व:** बड़ी भाषाएँ क्षेत्रीय और स्वदेशी भाषाओं पर प्रभुत्वशाली हो जाती हैं, जिससे दैनिक जीवन में उनका व्यावहारिक उपयोग कम हो जाता है।
- मानकीकरण और लिपि:** कई लुप्तप्राय भाषाओं में लिखित लिपि का अभाव है, जिससे उनका दस्तावेजीकरण और संरक्षण मुश्किल हो जाता है।

संरक्षण के प्रयास

- भारतीय जन भाषा सर्वेक्षण (PLSI) समुदायों की भाषाई प्रोफाइल का दस्तावेजीकरण करता है।
- सिक्किम विश्वविद्यालय के सिधेला अभिलेखागार का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में लुप्तप्राय भाषाओं को संरक्षित करना है।

- लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण और संरक्षण के लिए योजना (SPPEL):** इस योजना के तहत, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL), मैसूर 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भारत की सभी मातृभाषाओं/भाषाओं के संरक्षण और दस्तावेजीकरण पर कार्य करता है, जिन्हें लुप्तप्राय भाषाएँ कहा जाता है।
- AI4भारत पहल:** 22 भारतीय भाषाओं में भाषण पहचान, मशीन अनुवाद और टेक्स्ट-टू-स्पीच मॉडल विकसित करने के लिए AI का उपयोग करता है, जिससे उन्हें शोधकर्ताओं, उद्योगों एवं देशी वक्ताओं के लिए सुलभ बनाया जा सके।

निष्कर्ष

- भाषा संरक्षण का तात्पर्य सिर्फ़ शब्दों की सुरक्षा करना नहीं है; इसका तात्पर्य सांस्कृतिक विरासत, स्वदेशी ज्ञान और विशिष्ट पहचान की रक्षा करना है।
- जैसे-जैसे भाषाएँ लुप्त होती जा रही हैं, वैसे-वैसे उनकी समृद्ध परंपराएँ और इतिहास भी लुप्त होते जा रहे हैं। इसलिए, सांस्कृतिक स्थिरता और समावेशी विकास के लिए भाषाई विविधता को संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है।

Source: TH

भारत में इंटरनेट शटडाउन

संदर्भ


- एडवोकेसी संस्था 'एक्सेस नाड़' की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में इंटरनेट शटडाउन की संख्या वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक होगी।

परिचय

- वैश्विक प्रवृत्ति:** 2024 में विश्व भर में 296 बार इंटरनेट बंद हुआ और भारत में कुल 84 बार इंटरनेट बंद हुआ, जिसमें से 28% भारत में हुआ।
- 2024 में इंटरनेट बंद होने के मामले में भारत दूसरे नंबर पर रहा; म्यांमार में भारत से एक ज्यादा बार इंटरनेट बंद हुआ।
- 2024 में भारत में कुल शटडाउन विगत वर्ष की तुलना में कम थे।

- शटडाउन ने भारत के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावित किया।
- सबसे अधिक शटडाउन:** मणिपुर (21 शटडाउन), हरियाणा (12) और जम्मू और कश्मीर (12)। शटडाउन के कारण: 41 विरोध प्रदर्शन से संबंधित, 23 सांप्रदायिक हिंसा के कारण।

Top 10 countries with most no. of Internet shutdowns in 2024



इंटरनेट शटडाउन से संबंधित कानूनी प्रावधान

- आधार:** भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के अनुसार, भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केवल “सार्वजनिक आपातकाल” या “सार्वजनिक सुरक्षा” के हित में इंटरनेट शटडाउन लागू कर सकते हैं।
 - हालाँकि, कानून यह परिभाषित नहीं करता है कि आपातकाल या सुरक्षा मुद्दे के रूप में क्या योग्य है।
- वर्ष 2017 तक, शटडाउन मुख्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 के अंतर्गत लगाए गए थे।
 - CrPC की धारा 144 पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट को लोगों के गैरकानूनी जमावड़े को रोकने और किसी भी व्यक्ति को किसी निश्चित गतिविधि से दूर रहने का निर्देश देने के लिए शक्तियाँ प्रदान करती है।
- वर्ष 2017 में, कानून में संशोधन किया गया और सरकार ने दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम 2017 को लागू किया।

- ये नियम उन प्रक्रियाओं और शर्तों को रेखांकित करते हैं जिनके तहत इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है।
- शटडाउन की वैधता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें 5 दिनों के अंदर सलाहकार बोर्ड द्वारा आदेशों की समीक्षा की आवश्यकता होती है।

अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामला:

- 2020 में जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि राज्य द्वारा अनिश्चितकालीन इंटरनेट शटडाउन भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं है।
- उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि धारा 144 को लागू करना वास्तविक विरोध से बचने के लिए एक तंत्र के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, जिसकी संविधान के तहत अनुमति है।
- धारा 144 के बहुत विशिष्ट पैरामीटर हैं, केवल अगर वे पैरामीटर संतुष्ट हैं, तो ही मजिस्ट्रेट आदेश पारित कर सकता है।
- आदेशों की मुख्य बातें:**
 - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इंटरनेट का उपयोग मौलिक अधिकार है।
 - इंटरनेट शटडाउन अस्थायी अवधि के लिए हो सकता है, लेकिन अनिश्चित अवधि के लिए नहीं।
 - सरकार धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंध लगाने वाले सभी आदेशों को प्रकाशित करेगी।
 - अदालत ने यह भी कहा था कि इंटरनेट शटडाउन के संबंध में कोई भी आदेश न्यायिक जांच के दायरे में आएगा।

सरकार द्वारा इंटरनेट बंद करने के पक्ष में तर्क

- राष्ट्रीय सुरक्षा:** सरकार फेक न्यूज के प्रसार को रोकने, गैरकानूनी गतिविधियों का समन्वय करने या सुरक्षा खतरों को संबोधित करने के लिए एक अस्थायी और लक्षित उपाय के रूप में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करती है।

- अस्थायी और लक्षित उपाय:** इन उपायों का उद्देश्य दीर्घकालिक पहुँच का उल्लंघन करना नहीं है, बल्कि विशिष्ट और तत्काल चिंताओं को संबोधित करना है।
- अशांति और हिंसा को रोकना:** ऑनलाइन संचार को निलंबित करने से विरोध प्रदर्शन, दंगे या नागरिक अशांति के अन्य रूपों के आयोजन को रोकने में सहायता मिलती है।
- नकली समाचार और गलत सूचना का प्रतिकार करना:** संकट या संघर्ष के समय, ऑनलाइन प्रसारित होने वाली झूठी सूचना तनाव को बढ़ा सकती है और फेक न्यूज़ में योगदान दे सकती है।

सरकार द्वारा इंटरनेट बंद करने के विरुद्ध तर्क

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव:** इंटरनेट शटडाउन भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।
- वैश्विक छवि और निवेश:** बार-बार इंटरनेट शटडाउन भारत की वैश्विक छवि को प्रभावित करता है, जिससे निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के बीच चिंताएँ बढ़ती हैं।
- मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ:** इंटरनेट शटडाउन मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ बढ़ता है, जिसमें सूचना तक पहुँच का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा का अधिकार शामिल है।
- आर्थिक व्यवधान:** भारत में तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था है, और इंटरनेट शटडाउन से महत्वपूर्ण आर्थिक क्षति हो सकता है।
- शैक्षिक चुनौतियाँ:** शिक्षा के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग के साथ, इंटरनेट शटडाउन छात्रों की सीखने के संसाधनों तक पहुँच को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
- पारदर्शिता का अभाव:** सरकार को ऐसी कार्रवाइयों के लिए स्पष्ट औचित्य प्रदान करने और शटडाउन की अवधि और कारणों के बारे में पारदर्शी रूप से संवाद करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- लोकतंत्र में, सरकारों को समय-समय पर इंटरनेट सेवाओं को बाधित करने के लिए तर्क प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
- अंधाधुंध शटडाउन की सामाजिक एवं आर्थिक लागत बहुत अधिक होती है और प्रायः यह अप्रभावी होती है।
- बेहतर इंटरनेट प्रशासन के लिए भारतीय नागरिक समाज को एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है।

Source: TH

भारत का बढ़ता LNG आयात

समाचार में

- 2024 के पहले 11 महीनों में अमेरिका से भारत का एलएनजी आयात रिकॉर्ड 7.14 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) तक पहुँच गया, जो साल-दर-साल 71% की वृद्धि दर्शाता है।

LNG के बारे में

- तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) प्राकृतिक गैस है जिसे -162°C (-260°F) तक ठंडा किया जाता है, जिससे यह आसान भंडारण और परिवहन के लिए तरल अवस्था में बदल जाती है।
- मुख्य रूप से मीथेन (90%) से बना LNG गंधीन, रंगीन, गैर विषेला एवं गैर संक्षारक होता है।

भारत का LNG परिवहन

- विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में, भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तीव्रता से बढ़ती ऊर्जा माँग का अनुभव कर रहा है।
- आर्थिक विकास उच्च ऊर्जा खपत को बढ़ावा दे रहा है, जिससे LNG एक रणनीतिक ईंधन स्रोत बन गया है।
- भारत के LNG बुनियादी ढाँचे में आयात टर्मिनल, पाइपलाइन एवं विद्युत संयंत्रों, उद्योगों और शहर की गैस प्रणालियों की सेवा करने वाले वितरण नेटवर्क शामिल हैं।

- हालाँकि, वर्तमान बुनियादी ढाँचे में भीड़भाड़ और आपूर्ति शृंखला की अक्षमता का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इसकी पूरी क्षमता सीमित हो रही है।
- अमेरिका ने UAE को पीछे छोड़ा: 2023 में, अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता बन गया, जिसने UAE को पीछे छोड़ दिया, जबकि कतर शीर्ष आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।
- 2024 में 53.5% की वृद्धि: पूरे 2023 कैलेंडर वर्ष की तुलना में 2024 में अमेरिका से भारत के LNG आयात में 53.5% की वृद्धि हुई।
- मुख्य विकास चालक:
 - द्रवीकरण क्षमता में अमेरिकी विस्तार
 - प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण
 - केप ऑफ गुड होप के माध्यम से रणनीतिक निकटता

भारत को LNG की आवश्यकता क्यों है?

- ऊर्जा विविधीकरण:** जैसे-जैसे भारत कोयले से दूर जा रहा है, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में LNG एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- ऊर्जा संक्रमण और शुद्ध-शून्य लक्ष्य:** भारत कार्बन उत्सर्जन को कम करने और 2070 तक अपने शुद्ध-शून्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोयला आधारित विद्युत से LNG की ओर जा रहा है।
- औद्योगिक माँग:** औद्योगिक क्षेत्र को स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता है, और LNG अपने कम उत्सर्जन और कुशल दहन के कारण एक उपयुक्त विकल्प है।
- शहरीकरण और सिटी गैस नेटवर्क:** बढ़ते शहरी क्षेत्र सिटी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क के विस्तार को बढ़ावा दे रहे हैं।
 - पाइप नेचुरल गैस (PNG) पारंपरिक खाना पकाने के इंधन का एक स्वच्छ और सुरक्षित विकल्प है, जो शहरी जीवन स्तर में सुधार करता है।

भारत के LNG क्षेत्र में चुनौतियाँ

- बुनियादी ढाँचे की कमी:** भारत का लक्ष्य 2030 तक अपने ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को

- 15% तक बढ़ाना है, लेकिन LNG बुनियादी ढाँचा अपर्याप्त बना हुआ है।
 - भीड़भाड़ वाले LNG टर्मिनल देरी और अक्षमता का कारण बनते हैं।
- सीमित पाइपलाइन नेटवर्क:** अविकसित पाइपलाइनें दूरदराज के क्षेत्रों में एलएनजी वितरण को प्रतिबंधित करती हैं।
- भंडारण बाधाएँ:** भारत की सीमित एलएनजी भंडारण क्षमता इसे वैश्विक मूल्य उतार-चढ़ाव और आपूर्ति व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बनाती है।

LNG को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल

- ऊर्जा संक्रमण नीति:** 2030 तक गैस की हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ स्वच्छ ईंधन की ओर प्रवृत्ति करना।
- राष्ट्रीय गैस ग्रिड विस्तार:** आपूर्ति दक्षता बढ़ाने के लिए LNG पाइपलाइन नेटवर्क को मजबूत करना।
- शहरी गैस वितरण (CGD) का विस्तार:** पाइप नेचुरल गैस (PNG) और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) तक शहरी पहुँच में तेजी लाना।
- नए LNG टर्मिनलों का विकास:** आयात और भंडारण सुविधाओं का विस्तार करना।
- प्राथमिकता गैस आवंटन:** परिवहन के लिए CNG और घरों के लिए PNG जैसे प्रमुख क्षेत्रों को घरेलू प्राकृतिक गैस आवंटित करना।
- गैस मूल्य निर्धारण का उदारीकरण:**
 - उच्च दाब, गहरे जल और कोयला सीम स्रोतों से गैस के लिए विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता, एक अधिकतम मूल्य तंत्र के साथ।
- सस्ती परिवहन के लिए सतत विकल्प (SATAT) पहल:**
 - परिवहन के लिए स्वच्छ विकल्प के रूप में जैव-CNG को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- निवेश प्रोत्साहन:** सरकार को LNG अवसंरचना में निजी और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत उपाय प्रारंभ करने चाहिए।

- नियामक सरलीकरण:** LNG टर्मिनल और पाइपलाइन विस्तार में तेजी लाने के लिए अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
- छोटे पैमाने पर LNG विकास:** विकेन्द्रीकृत ऊर्जा आपूर्ति के लिए छोटे पैमाने पर LNG संयंत्रों के अनुसंधान और तैनाती का समर्थन करना।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPs):** एक लचीले LNG पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और वित्तीय संस्थानों के बीच सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक हैं।

Source: BL

नैनोक्रिस्टल्स के क्वांटम गुण का उपयोग

संदर्भ

- वैज्ञानिकों ने नैनोक्रिस्टल्स का उपयोग करके यह जांचने का एक नया तरीका विकसित किया है कि गुरुत्वाकर्षण क्वांटम-मैकेनिकल है या नहीं।

परिचय

- सामान्य सापेक्षता गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या करती है, जबकि क्वांटम यांत्रिकी विद्युत चुम्बकीय, मजबूत परमाणु और कमजोर परमाणु बलों का वर्णन करती है।
- वैज्ञानिक यह पता लगा रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्वांटम यांत्रिकी में कैसे फिट बैठता है, गुरुत्वाकर्षण की क्वांटम प्रकृति का परीक्षण करने के लिए प्रस्तावित प्रयोगों के साथ। क्वांटम यांत्रिकी क्वांटम स्तर पर कण व्यवहार का अध्ययन करती है, जहाँ क्लासिकल भौतिकी अब लागू नहीं होती है।
 - क्वांटम तकनीक पहले असंभव समझे जाने वाले कार्यों को करने के लिए सुपरपोजिशन और उलझाव जैसे क्वांटम गुणों का उपयोग करती है।
- नैनोक्रिस्टल छोटे क्रिस्टलीय ढाँचे होते हैं, जिनका आकार सामान्यतः 1 से 100 nm होता है, जो क्वांटम यांत्रिक व्यवहार (जैसे, चालकता, चुंबकत्व, प्रकाश अवशोषण में परिवर्तन) प्रदर्शित करते हैं।

- नैनोक्रिस्टल का उपयोग:** वैज्ञानिकों ने नैनोक्रिस्टल के क्वांटम गुण का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है जिसे स्पिन कहा जाता है।
 - स्पिन नैनोक्रिस्टल की गति को प्रभावित करता है और इसे बाहरी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।
 - प्रत्येक नैनोक्रिस्टल का स्पिन दो अवस्थाओं के सुपरपोजिशन में तब तक मौजूद रहता है जब तक कि इसे मापा नहीं जाता।
- परीक्षण के परिणाम:** विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पता चल सकता है कि गुरुत्वाकर्षण एक क्लासिकल बल नहीं है, या यह सुझाव दे सकता है कि गुरुत्वाकर्षण क्लासिकल और क्वांटम दोनों बलों से पूरी तरह से अलग है।

Source: TH

उच्चतम न्यायालय ने स्रोत पर ही अपशिष्ट को पृथक् करने पर बल दिया

संदर्भ

- उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और इसकी शुरुआत घरेलू स्तर पर होनी चाहिए।
 - अपशिष्ट पृथक्करण से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों को उत्पादन के बिंदु पर व्यवस्थित रूप से अलग करना है ताकि उचित निपटान, पुनर्चक्रण और उपचार की सुविधा मिल सके।

अपशिष्ट पृथक्करण का महत्व

- लैंडफिल पर भार कम करना:** उचित पृथक्करण से लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा कम हो जाती है, जिससे भूमि प्रदूषण और मीथेन उत्सर्जन में कमी आती है।
- रीसाइकिलिंग को बढ़ावा देना:** प्रभावी पृथक्करण से जैविक अपशिष्ट को खाद में बदला जा सकता है और गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों को रीसाइकिल किया जा सकता है, जिससे एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।

- प्रदूषण को रोकना:** मिश्रित अपशिष्ट से विषाक्त रिसाव और हानिकारक उत्सर्जन होता है, जिससे मृदा, जल एवं वायु दूषित होती है। पृथक्करण से खतरनाक सामग्रियों के सुरक्षित निपटान और उपचार में सहायता मिलती है।
- अपशिष्ट से ऊर्जा दक्षता:** अलग किया गया कचरा अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की बेहतर दक्षता सुनिश्चित करता है, क्योंकि मिश्रित अपशिष्ट में वर्तमान संदूषक ऊर्जा उत्पादन को कम करते हैं और परिचालन संबंधी समस्याओं का कारण बनते हैं।

अपशिष्ट पृथक्करण को लागू करने में चुनौतियाँ

- जन जागरूकता का अभाव:** सीमित जागरूकता और व्यवहारगत जड़ता के कारण कई घर अपशिष्ट पृथक्करण का पालन नहीं करते हैं।
- अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा:** कई शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उचित संग्रह और प्रसंस्करण सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण मिश्रित अपशिष्ट डंपिंग होती है।
- नियमों का कमज़ोर प्रवर्तन:** ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के बावजूद, सीमित जबाबदेही और संसाधनों के कारण नगरपालिका स्तर पर प्रवर्तन कमज़ोर बना हुआ है।
- अपशिष्ट संचालकों का प्रतिरोध:** अनौपचारिक अपशिष्ट बीनने वालों और सफाई कर्मचारियों के पास अलग-अलग किए गए अपशिष्ट को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए प्रोत्साहन और प्रशिक्षण का अभाव है।

सरकारी पहल

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016:** स्रोत पर अपशिष्ट को बायोडिग्रेडेबल, गैर-बायोडिग्रेडेबल और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट में अलग करना अनिवार्य करता है।
 - खाद बनाने, बायो-मीथेनेशन और अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने की तकनीकों के माध्यम से अपशिष्ट प्रसंस्करण को बढ़ावा देता है।
 - बल्क अपशिष्ट जनरेटर (हाउसिंग सोसाइटी, होटल, आदि) को अपने स्वयं के अपशिष्ट को संसाधित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

- स्वच्छ भारत मिशन (SBM):** SBM-शहरी 100% डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रह पर ध्यान केंद्रित करता है और स्रोत पृथक्करण को प्रोत्साहित करता है।
 - SBM-ग्रामीण गाँवों में बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट खाद और बायो-गैस संयंत्रों को बढ़ावा देता है।
- अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएँ:** सरकार गैर-पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट को विद्युत में बदलने के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों को प्रोत्साहित कर रही है।
- विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR):** EPR नियमों के अंतर्गत, निर्माताओं और उत्पादकों को उपभोक्ता के पश्चात् के अपशिष्ट (जैसे, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट) के प्रबंधन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

अपशिष्ट प्रबंधन में सफल उदाहरण


- स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत निरंतर भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा पाने वाले इंदौर ने यह प्रदर्शित किया है कि 100% स्रोत पृथक्करण, प्रसंस्करण अवसंरचना आदि जैसे सख्त प्रवर्तन शहरी अपशिष्ट प्रबंधन को बदल सकते हैं।**
- अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ ने 'शून्य अपशिष्ट' मॉडल को अपनाया है,** जहाँ महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह (SHGs) ठोस अपशिष्ट संग्रह और प्रसंस्करण का प्रबंधन करते हैं।
- पुणे के SWaCH (ठोस अपशिष्ट संग्रह और हैंडलिंग) मॉडल ने आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कचरा बीनने वालों को औपचारिक अपशिष्ट संग्रह में सफलतापूर्वक एकीकृत किया है।**

आगे की राह

- सख्त प्रवर्तन मानदंड:** अधिकारियों को गैर-अलगाव के लिए दंड लगाना चाहिए और अनुपालन को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना:** सामुदायिक स्तर पर विकेन्ट्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों में निवेश दक्षता में सुधार कर सकता है।

- प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान: स्मार्ट अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, AI-आधारित छंटाई और RFID ट्रैकिंग को अपनाने से अपशिष्ट प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
- अनौपचारिक अपशिष्ट बीनने वालों को नगरपालिका ढाँचे में एकीकृत करने से पृथक्करण और पुनर्वर्कण को बढ़ावा मिल सकता है।

Source: TH



टी हॉर्स रोड का महत्व

- तिब्बत के माध्यम से भारत-चीन व्यापार संबंधों को मजबूत किया।
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सुगम बनाया, भोजन, वस्त्र और बौद्ध धर्म को प्रभावित किया।
- चीन के चाय उत्पादक क्षेत्रों को भारत के व्यापारिक केंद्रों से जोड़कर आर्थिक निर्भरता को बढ़ावा दिया।

Source: IE

पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन

समाचार में

- टी हॉर्स मार्ग चीन, तिब्बत और भारत को जोड़ने वाला एक प्राचीन व्यापार मार्ग था। इसका उपयोग मुख्य रूप से तिब्बत से घोड़ों के बदले चीन से चाय का व्यापार करने के लिए किया जाता था, जिससे इस क्षेत्र में एक आवश्यक वाणिज्यिक नेटवर्क बनता था।
- इसके दो मुख्य मार्ग थे जो युनान प्रांत के दाली और लिजिआंग जैसे शहरों से होकर गुजरते थे। ये मार्ग भारत, नेपाल और बांग्लादेश में शाखाओं में बंटने से पूर्व तिब्बत में ल्हासा तक पहुँचते थे।
- इसकी उत्पत्ति चीन में तांग राजवंश (618-907 ई.) के दौरान हुई थी।
 - बौद्ध भिक्षु यिजिंग (635-713 ई.) ने बताया कि चीनी, कपड़ा और चावल के नूडल्स जैसे सामान दक्षिण-पश्चिमी चीन से तिब्बत और भारत भेजे जाते थे, जबकि घोड़े, चमड़ा, तिब्बती सोना, केसर एवं औषधीय जड़ी-बूटियाँ चीन भेजी जाती थीं।

पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन

- “पगड़ी संभाल जट्टा” का अर्थ है “हे किसान, अपनी पगड़ी संभालो”, जो आत्म-सम्मान और सम्मान का प्रतीक है।
- इसे 1907 में अजीत सिंह ने तीन दमनकारी ब्रिटिश कृषि कानूनों के विरोध में प्रारंभ किया था।
- इस आंदोलन ने निम्नलिखित ब्रिटिश कानूनों का विरोध किया
 - पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम, 1900 ने किसानों के भूमि बेचने या गिरवी रखने के अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया।

- पंजाब भूमि उपनिवेशीकरण अधिनियम, 1906 ने चिनाब कॉलोनी में भूमि पर ब्रिटिश नियंत्रण दिया।
- दोआब बारी अधिनियम, 1907 ने किसानों को ठेका मजदूरों में बदल दिया। किसानों पर भूमि और सिंचाई पर उच्च करों का भी भार था।

आंदोलन का प्रभाव:

- यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ किसानों के पहले बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक था।
- इससे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा और सार्वजनिक दबाव उत्पन्न हुआ।
- इस विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने कुछ दमनकारी धाराओं को निरस्त कर दिया।
- इसने ग़दर आंदोलन और भगत सिंह की गतिविधियों जैसे भविष्य के आंदोलनों को प्रेरित किया।

अजीत सिंह

- 23 फरवरी, 1881 को पंजाब के खटकर कलां गाँव में जन्मे।
- वे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नेता थे।
- उन्होंने लाला हरदयाल और मैडम कामा सहित यूरोप में अन्य क्रांतिकारियों के साथ कार्य किया।
- उन्होंने अपने भतीजे भगत सिंह को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध के कारण वे 1909 से 1947 तक निर्वासित रहे।
- 15 अगस्त, 1947 को उनकी मृत्यु हो गई, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी।

Source: IE

एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड

समाचार में

- उच्चतम न्यायालय ने प्रश्न उठाया कि एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoRs) गैर-AoRs को उनकी ओर से मामलों में प्रस्तुत होने के लिए कैसे अधिकृत कर सकते हैं।

एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड

- एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (AOR) एक वकील होता है जिसे उच्चतम न्यायालय के नियमों के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में मुवक्किल की ओर से कार्य करने, दलील देने और केस दायर करने का अधिकार होता है।
- इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145(1) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो न्यायालय को अपनी प्रथाओं और प्रक्रियाओं को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- सुप्रीम कोर्ट रूल्स, 2013 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं को निर्धारित किया गया है।

Source: Livelaw

भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCISM)

संदर्भ

- राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (NCISM) ने देश भर के आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी मेडिकल कॉलेजों को सख्त चेतावनी जारी की है।

परिचय

- भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग, NCISM अधिनियम, 2020 के अंतर्गत गठित वैधानिक निकाय है।
- यह आयोग आयुष मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और आयुर्वेद एवं यूनानी बोर्ड तथा यूनानी, सिद्ध और सोवारिंगपा बोर्ड को नियंत्रित करता है।
- उद्देश्य:

- भारतीय चिकित्सा पद्धति (ISM) के पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना;
- भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा पेशेवरों द्वारा नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनाना; और
- ISM चिकित्सा संस्थानों का आवधिक मूल्यांकन।

Source: FPJ